सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03 अक्टूबर 2020 को पूर्वान्ह 10:00 बजे आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून में विभागीय ई–पोर्टल के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्तः–

<u>बैठक में उपस्थिति–</u>

1. डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. श्री अमित सिन्हा, निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
3. श्री हरिओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. श्री के0 नारायण एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0 देहरादून।
5. श्री अनिल कुमार आर्या, सीनियर टैक्नीकल निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून।
6. श्री सुनील पंवार, संयुक्त निदेशक, खनन/नोडल अधिकारी, ई–पोर्टल, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।

विचार–विमर्श के उपरान्त लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं :–

1. वर्तमान में प्रचलित स्टोन केशर नीति, 2020 के अनुसार ई–पोर्टल पर संशोधन किये जाने सम्बन्धी एन0आई0सी0 को प्रेषित पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2020 के सम्बन्ध में एन0आई0सी0 द्वारा प्रस्तुतीकरण (Presentation) तैयार कर नोडल अधिकारी, ई–पोर्टल, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून एवं श्री नवनीत कुमार, आई0टी0डी0ए0 को संशोधनों सहित दिनांक 09.10.2020 को दिखाया जायेगा। ई–पोर्टल के संशोधन का प्रस्तुतीकरण (Presentation) दिनांक 12.10.2020 को सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अपर सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि ई–रवन्ना पोर्टल में वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण ई–रवन्ना पोर्टल संशोधन का कार्य एन0आई0सी0 अथवा आई0टी0डी0ए0 से ही कराया जाय। इस सम्बन्ध में चर्चा के उपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि बैठक के समस्त विचारणीय बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए एन0आई0सी0/आई0टी0डी0ए0 से प्रस्ताव प्राप्त किया जाय। विचारणीय बिन्दु निम्नवत् हैं :–
   - (i) ई–प्रपत्रों के सत्यापन हेतु पूर्व में mining guard उपलब्ध था, वर्तमान में mining guard को चालू रखा जाय या कोई अन्य सेवा।
   - (ii) वाहनों का चालान ऑन लाईन नियमावली के नियम 13(3) के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में।
   - (iii) व्यापार कर, समस्त जिलाधिकारियों, मुख्यालय में उपखनिज अनुभाग/मुख्य खनिज अनुभाग व मुख्यालय के अधिकारियों को ई–पोर्टल को देखने वाली आई0डी0 विकसित किये जाने के सम्बन्ध मे।
   - (iv) ई–परिवहन प्रपत्र विभिनन स्तरों पर जाचोंपरान्त पाया गया कि प्रपत्रों में अंकित वाहन संख्या का परिवहन विभाग के पोर्टल से मिलान करने पर पाया गया कि खनिजों का परिवहन मारुति वेन, मोटर साईकिल, स्कूटर, बुलोरों के वाहन प्रदर्शित हुए। इस हेतु ई–पोर्टल से जारी किये जाने वाले परिवहन प्रपत्रों को वाहन कमांक डालते ही स्वतः अनुमत परिवहन क्षमता अंकित हो जाय, जिससे कि इस प्रकार की विसंगति को दूर किया जा सके।
   - (v) कार्यदायी संस्थाओं के ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों के आधार पर उपखनिज की आपूर्ति का निर्धारण किया जाता है। विभाग के संज्ञान में आया है कि ठेकेदारों द्वारा एक परिवहन प्रपत्रों का कई जगह उपयोग कर उपखनिज की आपूर्ति दर्शानें से राजस्व की क्षति होती है। इस पद्यति की रोकथाम हेतु ई–परिवहन प्रपत्र की जॉच प्रणाली विकसित की जाय।

(vi) ई–पोर्टल हैल्प लाईन फोन सर्विसस को वर्तमान में मोबाईल के स्थान पर Toll free recording की सुविधा सहित कर्मचारी को कार्यालय में 24 x 7 उपस्थिति की जाये या अन्य कोई व्यवस्था।

(vii) विगत वर्षों में बोल्डर/आर0बी0एम0 कय (Purchase) हुआ था। वर्तमान में स्टोन केशर्स/भण्डारणकर्ताओं द्वारा आर0बी0एम0/बोल्डर का कय नहीं हो पा रहा है। ई–पोर्टल में पंजीकरण (Registration) के समय आर0बी0एम0/बोल्डर चयनित नहीं है, जिसको पूर्व में Super Script की बात कही जा रही है, जिसके अभिलेख नहीं हैं।

(viii) ई–पोर्टल के माध्यम से स्टोन केशर का संचालन/पावर सप्लाई को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही ।

(ix) महालेखाकार लेखा परीक्षा द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा duplicate ई–रवन्ना का प्रयोग कर रायल्टी में छूट प्राप्त करने सम्बन्धी प्रकरण।

(x) Revenue collection / Production in Mine site/ Dispatches from Mine site/ Out side State transportation – जिलावार/प्रदेशवार/खनिजवार आदि सूचना का Real time सूचना उपलब्ध कराया जाना।

(xi) ई–पोर्टल हेतु एन0आई0सी0, आई0टी0डी0ए0 एवं विभाग के दायित्वों का विभाजन।

(xii) इन्टर नेट कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में।

(xiii) एस0एम0एस0 सेवा में आई समस्या के सम्बन्ध में CDAC एवं UKSDC द्वारा।

एन0आई0सी0 से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में 15 दिन के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।

3. ई–पोर्टल को संचालित करने हेतु विभाग की कैपेसिटी बिल्डिग के लिए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा विभागीय स्थायी कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाय, जिससे कि चयनित विभागीय कार्मिकों (मुख्यालय/जनपद स्तरीय) को विभाग के ई–पोर्टल का प्रशिक्षण दिया जा सके। इस हेतु आई0टी0डी0ए0 से सम्बन्धित विचारणीय बिन्दुओं एवं प्रशिक्षण पर प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव, खनन,
उत्तराखण्ड शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
भोपालपानी, देहरादून।
संख्या: 1513 /भू.खनि.ई./आई.टी.सैं./20
देहरादून : दिनांक: 08 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव, सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को उक्त कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव, खनन,
उत्तराखण्ड शासन।